

न्यायालय राजस्व न्यायालय ग्वालियर (म.प्र.)


582

प्र.क्र 2016 निगरानी

निग - 3148 - I-16

श्री. संजीव कुमार मिश्रा - माली
द्वारा आज दि. 16/9/16
प्रस्तुत

डॉ० बसंत सिंह पुत्र स्व० श्री विश्वनाथ सिंह
निवासी-हाथीवाली हवेली, किले अंदर, विदिशा
(म.प्र.)


16/9/16

.....वादी

बनान

Sanjeev Kumar Mishra (A2)
16/9/16


1. सुधा कुमारी पत्नी कुलदीप सिंह, चंदेला, निवासी-सिद्धाई विभाग, कालो-गी, पेटलावद, जिला झाबुआ (म०प्र०)
2. कृष्णा कुमारी बेवा बृजराज सिंह चौहान, निवासी- हाथीवाली हवेली, किले अंदर, विदिशा (म.प्र.)
3. स्मन कुमारी पत्नी राघवेन्द्र सिंह परमार, निवासी- दादा सोबरन सिंह परमार यादव कालो-गी, कटोरताल, ग्वालियर (म०प्र०) तीनो पुत्रोत्तम स्व० श्री विश्वनाथ सिंह, ।
4. राजवहादुर पुत्र स्व० श्री विश्वनाथ सिंह, निवासी-हाथीवाली हवेली, किले अंदर, विदिशा (म.प्र.)

.....प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांकित 07.09.2016 जो प्रकरण क्रमांक 38-ए-27/11-12 में न्यायालय तहसीलदार, विदिशा जिला-विदिशा म०प्र० द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत है।

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

1. यहकि, इस निगरानी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ग्राम मदनगिरी तहसील विदिशा में स्थित भूमि 52/1 रकवा 6.638 हेक्टेयर, 110 रकवा 0.984 हेक्टेयर, 111 रकवा 0.073 हेक्टेयर, 115 रकवा 0.084 हेक्टेयर, 116 रकवा 0.094 हेक्टेयर, 121 रकवा 0.031 हेक्टेयर, 145 रकवा 0.146 हेक्टेयर कुल नवर 07 रकवा 7.105 हेक्टेयर जिन्हें आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। ये भूमि स्वामी श्री विश्वनाथ सिंह जी जो कि निगरानीकर्ता एवं प्रतिप्रार्थीगण के पिताजी थे। श्री विश्वनाथ सिंह जी के स्वर्गवास के पश्चात् प्रतिप्रार्थीगण

3

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3148-एक/16

जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री संजीव मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	

